कार्यालय पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस–नोट
(दिनांक 03.05.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

आज दिनांक 03.05.2024 को श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के आदेश एवं श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अनुसार एंटी रोमियो स्क्वायड वाहनों को अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर परिसर से रवाना किया गया।

एंटी रोमियो स्क्वायड(महिला हेल्पलाइन नंबर 1090) पुलिस मोबाइल वाहन प्रतिदिन लगातार चिन्हित स्थानों पर निरंतर गश्त करते हुए निगरानी रखेंगे। मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों स्कूल/कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल पार्क, बसों, भीड़– भाड़ वाले स्थान एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर होने वाली छेड़छाड़, छिटाकशी, चेन स्नैचिंग, अन्य अप्रिय घटनाओं को प्रभावी रोकथाम तथा ऐसे अपराध करने वाले असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखकर उनके विरुद्ध निरोधात्मक व कानूनी कार्यवाही करेंगे।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय जोधपुर के दिशा निर्देशानुसार प्रभावी सकारात्मक कार्यवाही हेतु पुलिस बल को दो पारियों में नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया गया कि दिए गए चिन्हित स्थानों पर विशेष गश्त कर महिलाओं, बालिकाओं और वृद्धजनों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पुलिस बल प्रभावी प्रतिदिन 1090 से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराधों की रोकथाम कर प्रतिदिन लगातार निरंतर गश्त करते हुए निगरानी रखेंगे व की गई कार्यवाही की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष को प्रतिदिन प्रेषित करेंगे।

महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 के साथ व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9530440800 पर मिलने वाली शिकायतों पर भी त्वरित कार्यवाही करते हुए उसका सामाधान किया जाता है। इसके साथ ही 100 नंबर और 112 नंबर पर भी महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।

महिलाओं को कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना या कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 या फिर व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत बतानी होगी। शिकायत करने वाले की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति की ओर से महिला या बालिका को परेशान किया जा रहा होगा, पुलिस उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

महिलाएं अनचाहे और अश्लील फोन कॉल्स, सिनेमाघरों में अशिष्ट व्यवहार, स्कूल–कॉलेज, महिला छात्रावास, कार्यस्थल, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थल, सिनेमाघर आदि स्थानों पर की जाने वाली छेड़छाड़ संबंधी शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकती हैं। इसके साथ ही विवाहित महिलाएं शारीरिक या मानसिक यातना, यौन शोषण का प्रयास आदि तमाम शिकायतों को महिला गरिमा हेल्पलाइन या व्हाट्सएप हेल्पलाइन के जरिए बता सकती हैं। शिकायत मिलते ही महिला अधिकारियों की ओर से संबंधित थाना अधिकारी से संपर्क कर आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है।

प्रभारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।

राजस्थान पुलिस
DIAL 1090 महिला सुरक्षा हेल्पलाईन
1090
महिला सुरक्षा हेल्पलाईन
RJ14TF8454
RajCop
Citizen App
Shot on moto g54 5G
3 May 2024, 8:51 am